

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राज0 जयपुर

क्रमांक एफ.3 (ख) (1) ()/अलेसे-11/161-245

दिनांक : 09 अप्रैल 2013

आदेश संख्या 16/ 2013-14

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित लेखाकार (संयुक्त प्रतियोगी) सीधी भर्ती परीक्षा, 2011 में सफल घोषित किये जाने एवं आयोग की अनुशंषानुसार चयनित सूची में से निम्नांकित अभ्यर्थियों को एतद् द्वारा राज. अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 6 के अनुसार परीक्षाधीन लेखाकार के रूप में उपस्थिति देने की तिथि से दो वर्ष की कालावधि के लिए रुपये 11100/- (ग्यारह हजार एक सौ रुपये) प्रति माह के स्थाई पारिश्रमिक पर अथवा जो अभ्यर्थी पूर्व से नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है, उनके संदर्भ में वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.1 (2) वित्त/नियम/06 दिनांक 13.03.2006 के अनुसार देय वेतन भत्तों पर उपस्थिति देने की संगत तिथि से एतद् द्वारा नियुक्त किया जाता है तथा आदेश दिये जाते हैं कि वे उनके नाम के सामने अंकित विभाग/कार्यालय में दिनांक 30 अप्रैल 2013 तक प्रातः 9.30 बजे अपनी उपस्थिति आवश्यक रूप से देकर इस विभाग को सूचित करेंगे अन्यथा उक्त तिथि के बाद उनके नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त समझे जावेंगे।

क्र.सं.	मेरिट क्रमांक	रोल नम्बर	नाम/पिता का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	जन्म तिथि	गृह जिला	श्रेणी	विभाग/ कार्यालय का नाम	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	07	303002	नरेन्द्र कुमार स्वामी / बाबूराम स्वामी आई/283, नई सिविल लाईन, मिनी सिविलालय, हनुमानगढ़ जवशन	02.02.1970	हनुमानगढ़	OBC.	जिला कलेक्टर (ई-गवर्नेंस) बाड़मेर	रिक्त पद पर
2.	13	300341	योगेश कुमार/ हरिशंकर 6-एन, ब्लॉक, गौसाला रोड के नजदीक, श्रीगंगानगर-335001	22.10.1982	श्रीगंगा नगर	GE.	अधिकांशी अभियन्ता, सा. नि.विभाग, विद्युत खण्ड बाड़मेर	रिक्त पद पर
3.	29	401805	रमेश कुमार बोहरा / चिन्तामण दास कल्याण पुरा मार्ग, नं. 4, बाड़मेर	13.12.1975	बाड़मेर	GE.	पंचायत समिति सिन्दरी, बाड़मेर	रिक्त पद पर
4.	54	702750	बनवारी लाल शर्मा/ फुल चन्द शर्मा, चोटियों की ढाणी, पोस्ट लूणवा तहसील नावा, जिला नागौर-341509	20.12.1984	नागौर	GE.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, बाड़मेर	रिक्त पद पर
5.	78	300027	आलोक कौशिक/ अखिलेश कुमार कौशिक, वार्ड नं 18, पुराना अस्पताल रोड, भारत वेरायटी स्टोर के सामने, बंद गली, हनुमानगढ़	11.07.88	हनुमानगढ़	GE.	जिला परिवहन अधिकारी बाड़मेर	रिक्त पद पर
6.	79	603007	हरीश न्याती/ राजेन्द्र कुमार न्याती जे.के. मोड, रानका ज्वेलर्स के पीछे, नव बहार कॉलानी, पोस्ट कांकरोली जिला राजसमन्द-313324	14.10.1981	चित्तौड़ गढ़	GE.	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, डूंगरपुर	रिक्त पद पर
7.	90	101543	सुनील कुमार वाजपेयी/ वीरेन्द्र प्रसाद वाजपेयी, मकान नं 10, गली नं 3, विनायक नगर, सेंट स्टीफन स्कूल रोड, पंचशील-सी, अजमेर-305001	27.11.1973	अजमेर	GE.	राजकीय पी जी कालेज (छात्र) अजमेर	रिक्त पद पर कले के पद पर फिटिकल जिले में 7 वर्ष से अधिक अवधि तक कार्यरत रहे नूक
8.	94	303888	विकास बजाज/ रामलाल बजाज, गोपाल स्वीट हाउस लालगढ़, जाटान, श्री गंगानगर पिन-335037	02.08.1986	श्रीगंगानगर	GE.	राजकीय पी जी कालेज (छात्र) श्रीगंगानगर	रिक्त पद पर विकलांग
9.	110	400746	श्री जयप्रकाश व्यास/ श्री बन्नीलाल व्यास, 4/45, राजकीय आवास, शिक्षा विभाग के सामने जैसलमेर	12.10.1972	जैसलमेर	GE.	मण्डल वन अधिकारी, मोहनगढ़, जैसलमेर	रिक्त पद पर
10.	150	708204	नरेन्द्र शर्मा/ सुशील कुमार महर्षि, 63- सीता विहार कॉलोनी, खिरनी फाटक रोड, झोटवाड़ा, जयपुर	11.06.1985	जयपुर	GE.	जिला परिषद, जालौर	रिक्त पद पर
11.	172	103169	रामकिशोर/ बहादुर राम गा0पो0 बड़गांव तह. मेड़ता सिटी, जि. नागौर-341510	01.07.1987	नागौर	OBC	बाल विकास परियोजना अधिकारी, रामपुर, पाली	रिक्त पद पर
12.	200	717377	हेमराज चौधरी / रामनारायण 38, करणी नगर, खिरनी फाटक रोड, झोटवाड़ा, जयपुर-302012	15.08.1989	जयपुर	BC	उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, (प.क.) जालौर	रिक्त पद पर
13.	208	102476	श्रीमति मोना शर्मा/ रामगोपाल शर्मा पत्नी श्री संजय रजक 1/63, आर एच बी कालोनी, गोवर्धन विलास, सेक्टर 14, उदयपुर 313001	30.10.1985	उदयपुर	GE.	उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, (प.क.) उदयपुर	रिक्त पद पर पति-पत्नी प्रकरण
14.	223	723213	देवपाल मीणा/ भगवान सहाय मीणा वार्ड नं 24 गोपाल बगीची के पीछे बसवा रोड, बांदीकुई, दौसा-303313	10.02.1987	दौसा	ST	जिला परिषद, बाड़मेर	रिक्त पद पर

15.	228	705084	चन्द्रशेखर शर्मा / ओमप्रकाश शर्मा कमल कुंज, प्लॉट नम्बर 15, नन्द विहार कालोनी, बस्ती, जिला जयपुर	27.09.1988	दौसा	Gen	पंचायत समिति, प्रतापगढ़	रिक्त पद पर
16.	243	302749	राज कुमार चौहान / मोहन लाल चौहान, वार्ड नं० 11, रावला बस स्टेण्ड के पास, अनुपगढ़ जिला श्रीगंगानगर-335701	10.09.1970	श्रीगंगानगर	OBC	राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद, श्रीगंगानगर	रिक्त पद पर कले के पद पर फिलिकल जिलों में 7 वर्ष से अधिक अवकाश तक व्यवस्था रहे गुंके
17.	250	601888	वीना सुवालका / स्व.शिव लाल सुवालका, 378, उत्तरी सुन्दर वास, उदयपुर-313001	03.04.1986	उदयपुर	BC	कमाडेन्ट, होमगार्ड, उदयपुर	रिक्त पद पर महिला अभ्याथी
18.	254	600053	सुभाष मीणा / भगवान लाल मीणा ग्राम 00 सीसारगा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर	05.07.1985	उदयपुर	ST	बाल विकास परियोजना अधिकारी, गिर्वा, उदयपुर	रिक्त पद पर
19.	258	302051	करमजीत सिंह / शेरजंग सिंह, नजदीक लिटील हार्ट पब्लिक स्कूल, होण्डा शोरूम के पीछे की तरफ वार्ड नं० 15 हनुमानगढ़ 335513	20.06.1975	हनुमान गढ़	OBC	जल ग्रहण एवं भू संरक्षण, जिला परिषद, जालौर	रिक्त पद पर
20.	272	714969	श्रीमती पूर्णिमा मित्तल पुत्री श्री सुभाषचन्द कन्सल प्लॉट नम्बर 1150, बरकत नगर किसान मार्ग, टॉक फाटक जयपुर	13.05.1976	जयपुर	GE	उप वन संरक्षक, वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर	रिक्त पद पर मति - पत्नी प्रकरण
21.	320	601146	जीवन सिंह राव / प्रताप सिंह राव, गांव गुगली, पोस्ट आईडाणा, वाया केलवा, तह. आगेट जिला राजसमन्द	02.06.1982	राजसमन्द	BC	जिला परिषद, डूंगरपुर	रिक्त पद पर
22.	329	104439	भगवान सिंह / रामकिशन वीपीओ- बहज तह० डीग जि० भरतपुर- 321203	18.04.1984	भरतपुर	OBC	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, धौलपुर	रिक्त पद पर
23.	341	755646	मांगी लाल बैरवा / खेमराज बैरवा, ग्र. पोस्ट मोहबतपुरा तह. फागी जिला जयपुर 303904	21.05.1989	जयपुर	SC	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जालौर	रिक्त पद पर
24.	344	720353	नरेश कुमार सुनोतिया / बेदीलाल, 207, विवेक विहार, जगतपुरा जयपुर	11.10.1972	दौसा	SC	सहायक निदेशक, कृषि, जिला परिषद, डूंगरपुर	रिक्त पद पर
25.	358	602865	भीमराज मीणा / अम्बालाल मीणा प्लॉट नम्बर 817, हिरण मगरी सेक्टर 9, सविना, पानी की टंकी के पास उदयपुर - 313002	15.03.1983	उदयपुर	ST	राजकीय यू जी कालेज, छात्र, सलूमवर, उदयपुर	रिक्त पद पर
26.	365	709508	रामचरण वर्मा / रामकिशोर वर्मा 34/186, गायत्री नगर, आगरा रोड, दौसा- 303303	15.03.1979	दौसा	SC	जल ग्रहण एवं भू संरक्षण, जिला परिषद, पाली	रिक्त पद पर
27.	376	723809	लोकेश माथुर / सत्यनारायण माथुर ग० न० 69/281, वी.टी. रोड, मनसरोवर, जयपुर - 302020	24.04.1971	जयपुर	GE	मुख्य वन संरक्षक, जयपुर	रिक्त पद पर विकलांग
28.	381	103459	अनिल कुमार खटीक / नानूराम खटीक, गु.पो. पांसल, वाया पुर जिला भीलवाडा	26.07.1986	भीलवाडा	SC	पंचायत समिति, पीपलसूट, प्रतापगढ़	रिक्त पद पर

उपरोक्त अभ्यर्थियों की लेखाकार पद पर नियुक्ति निम्नांकित शर्तों पर की जा रही है:-

- 1- उपरोक्त अभ्यर्थियों की जन्म तिथि इनके द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र में अंकित एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा स्वीकृत जन्म तिथि के अनुसार तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर अंकित की गई है।
- 2- यह नियुक्ति संबंधित सेवा नियमों और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों में अधिकृत निबन्धनों एवं शर्तों के अधीन होगी।
- 3- यह नियुक्ति उप महानिरीक्षक, सी.आई.डी. (सुरक्षा) जयपुर से अभ्यर्थी के चरित्र के संबंध में संतोषजनक प्रमाण-पत्र की शर्त पर है।
- 4- अभ्यर्थी को राजस्थान अधीनस्थ सेवा नियमों के अनुसार भविष्य में अनिवार्य प्रशिक्षण पर उपस्थिति देते समय दस रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक अनुबन्ध पत्र / बाण्ड जो नोटरी पब्लिक से प्रमाणित हो देना होगा।
- 5- अभ्यर्थी को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 10 के अनुसार निर्धारित स्वास्थ्य परीक्षा प्रमाण पत्र जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा उससे उच्च पद के चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाने चाहिये किन्तु महिलाओं के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी, किसी महिला चिकित्सक का स्वास्थ्य सन्मन्त्री प्रमाण पत्र उपस्थिति के समय प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उपस्थिति स्वीकार्य नहीं होगी।
- 6- इन अभ्यर्थियों को परीक्षाकाल में विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने की स्थिति में अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आवश्यक समझे जाने पर परीक्षा की अवधि स्वविवेकानुसार बढ़ाई जा सकती है। निर्धारित अवधि में विभागीय परीक्षा में दो बार से अधिक अनुत्तीर्ण होने पर इन्हें राज्य सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।
- 7- परीक्षाधीन प्रशिक्षार्थी की परीक्षा की कालावधि के अन्तर्गत निम्न पारिश्रमिक (Fixed remuneration) के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के भत्ते (विशेष भत्ता, मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, बोनस आदि) देय नहीं होंगे।
- 8- परीक्षाधीन प्रशिक्षार्थी को कार्यग्रहण काल एवं यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

- 9 यदि सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परीक्षा की समयावधि में सन्तोषप्रद नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें एक दक्ष लेखाकार होने की क्षमता नहीं है तो सरकार इन्हें सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी ।
- 10 उक्त नियुक्तियों माननीय न्यायालयों में विवादाधीन विभिन्न प्रकरणों के अन्तिम निर्णय के अध्याधीन होगी ।
- यदि कोई अभ्यर्थी प्रशिक्षण अवधि में या प्रशिक्षण समाप्ति के दो वर्ष की अवधि में राजस्थान राज्य अधीनस्थ लेखा सेवा से त्याग पत्र देना चाहेगा अथवा अन्यत्र पदग्रहण करना चाहेगा तो ऐसा करने से पूर्व प्रशिक्षण अवधि में उनके द्वारा प्राप्त वेतन एवं गते एवं प्रशिक्षण पर हुये व्यय की दोगुना राशि का भुगतान उसे एक मुश्त राजकोष में जमा कराना होगा ।
- इस विभाग से पत्र व्यवहार करते समय अभ्यर्थी अपने मेरिट क्रमांक एवं वैध वर्ष का उल्लेख अवश्य करें अन्यथा उनके पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।


निदेशक

क्रमांक एफ.3 (ख) (1) ()/अलेसे-11/161-245
प्रतिलिपि:-

दिनांक : 09 अप्रैल 2013

- 1 शासन सचिव, वित्त(राजस्व) विभाग, राजस्थान जयपुर
- 2 सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
- 3 विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष को प्रेषित कर लेख है कि सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा उनके कार्यालय में उपस्थिति देते समय राजस्थान सेवा नियमों के नियम 10 के अनुसार निर्धारित स्वास्थ्य परीक्षा प्रमाण पत्र जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा उससे उच्च पद के चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही उपस्थिति स्वीकार की जावे तथा कार्यग्रहण रिपोर्ट इस विभाग को भिजवाने की व्यवस्था कराये ।
- 4 श्री को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वे निर्धारित तिथि को उनके नाम के सामने अंकित कालम संख्या 8 में दिनांक 30 अप्रैल 2013 तक आवश्यक रूप से उपस्थित होकर उपस्थिति रिपोर्ट सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें ।
- 5 विशेषाधिकारी (कम्प्यूटर अनुभाग) वेबसाईट पर अपलोड हेतु
- 6 निजी सहायक, निदेशक
- 7 गोपनीय शाखा
- 8 रक्षित/ निजी पत्रावली


अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-1)

**BOND TO BE EXECUTED BY GOVERNMENT SERVANT REQUIRED TO UNDERGO
TRAINING ON RS.10/- NON JUDICIAL STAMP PAPER**

This bond is made on the _____ date of 2012 by _____ Son of _____
Shri _____ resident of _____
appointed to the post of ACCOUNTANT (hereinafter called the trainee) of the First Part and
_____ Son of Shri _____ resident of _____
_____ (First Surety); and _____ Son of _____ Shri _____ resident of _____
_____ (Second surety) hereinafter called collectively the sureties of the second part in
favor of the Governor of the State of Rajasthan (hereinafter called the Government).

Whereas the Governor has selected the trainee for appointment to the post of ACCOUNTANT

And whereas in accordance with Rules it is necessary for the trainee, before assuming independent charge of the post for which he has been also selected to undergo training for a period of 16 weeks

And whereas the Government have agreed to place the trainee under training on the terms hereinafter mentioned and on the condition that the sureties shall give security for the due performance by the trainee of the said terms

And whereas the sureties have agreed to give security for the due performance by the trainee of the said terms in the manner hereinafter after appearing.

Now this deed witnesses as follows:-

(1) In consideration of the Government selecting the trainee for appointment to the post of ACCOUNTANT and arranging for his training in accordance with the Rules, and in pursuance of the said agreement, the trainee hereby covenants with the Government that during the period of such training and within a period of Two year after the completion of such training, he shall not resign the post for which he has been selected as aforesaid, nor shall he take up any employment other than post for which he has been so selected.

(2) For the consideration aforesaid in pursuance of the said agreement the trainee and the sureties agree that if, during the period of training or within a period of Two year after the completion of training, the trainee shall resign or take other employment in contravention of clause (1) above, the trainee and the sureties shall jointly and severally pay to the Government the double of the emoluments paid by the Government to the trainee during the period of his training together with other expenses incurred by the Government thereon but excluding the amounts paid to the trainee by way of traveling and daily allowances under the relevant rules:

Provided that the trainee and the Parties shall not be required so to pay the emoluments paid to the trainee during the period of his training, if the training imparted to the trainee, in the opinion of the Government, likely to provide useful in the new appointment also.

In witness whereof this bond has been signed by the trainee and the sureties the day or year above written.

Signed by the Trainee:

Witness (I)

Witness (II)

Signed by the First Surety

Witness (I)

Witness (II)

Signed by the Second Surety

Witness (I)

Witness (II)

Note:- All above persons give Full name & Address

Accepted
D.E.A.